कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/33660/2018/3140 भोपाल, दिनांक 30-9-19

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण)अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **सतना जिले के परिक्षेत्र मझगंवा ग्राम–पिपरीटोला के कक्ष क्र. पी.एफ.–870 (नया) 4.600 हे. संरक्षित वनभूमि ओपन कास्ट पद्धति से ओकर व्हाइट क्ले, लेटराइट खनिज उत्खनन नवीनीकरण हेतु श्री शरद कुमार बंसल को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6–MPC066/2018-BHO/651 दिनांक 03 / 12 / 2018 / 10 / 2018

---0---

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 07 बिन्दुओ पर जानकारी चाही गई है। वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9059 दिनांक18 / 9 / 2019 से 07 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अ. क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The original proposal was of compartment No. PF-203 and at present it is in compartment No. PF-2870 . The fact needs to be supported by the approved working plan changes or notification, which is applicable.	सतना वन मंडल की कार्य आयोजना भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्र. 2967 दिनांक 10 / 12 / 2008 से पुनरीक्षित की गई थी, जिसकी समयावधि 2008–09 से 2017–18 तक निर्धारित थी। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के पूर्व आवेदित स्थल का कक्ष क्रमांक पी–203 था। कार्य आयोजना पुनरीक्षण के पश्चात् कक्ष क्रमांक पी.एफ.–870 पुनरीक्षित किया गया है। पुराने एवं नये कार्य आयोजना के सत्यापित पृष्ठो की छायाप्रति संलग्न है।
2	The FCA approval for 4.6 ha was valid upto 18-12-2012 and the case was forwarded to this office for renewal after gap of 6 years. Therefore, status of the land during those 6 year along with the possession of land needs to be submitted to this office.	खदान की लीज की अवधि दिनांक 18 / 12 / 2012 तक थी। लीज अवधि समाप्ति दिनांक से लीज क्षेत्र वन विभाग के आधिपत्य में है। दिनांक 18 / 12 / 2012 के पश्चात् लीज क्षेत्र में उत्खनन एवं परिवहन का कार्य पूर्णरूपेण बन्द है।
3	A certified copy of valid mining lease as on 8-10-2018 may kindly be submitted.	कलेक्टर, सतना ने पत्र क्रमांक 4334 दिनांक 26 / 12 / 2018 (छायाप्रति संलग्न) में लेख किया है कि खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन अध्यादेश 2015 के अधीन खनिपट्टे की अवधि वृद्धि का पूरक अनुबन्ध वन विभाग की अनापत्ति / अभिमत प्राप्त होने पर अवधिवृद्धि के पूरक अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित की जा सकेगी।

अ.क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
4	The DSS analysis shows the proposed area to be 0.58 ha short of 4.60 ha. so, correct area KML along with the approach road shall be submitted & uploaded on e- portal.	आवेदक श्री शरद बन्सल द्वारा अपने पत्र दिनांक 03/01/2019 से लेख किया गया है कि जियो रिफरेन्स मानचित्र में पिलर क्रमांक– A एवं B दर्शाना भूल गये थे। आवेदक द्वारा नया जियो रिफरेन्स मानचित्र जी.पी.एस. रीडिंग सहित संलग्न प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्खनन हेतु 4.572 हे. एवं निकासी हेतु 0.028 हे. मार्ग दर्शाया गया है। कुल रकबा 4.600 हे. ही है। संशोधित KML फाईल ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
5	The DSS analysis shows the presence of MDF over 3 ha. State Govt. need to justify the stand with detail tree enumeration list and site photographs.	आवेदक द्वारा स्वीकृत खदान में कुल 0.705 हेक्टयर वनक्षेत्र में ही उत्खनन का कार्य किया गया है। उत्खनित क्षेत्र में आवेदक द्वारा रोपित किये गये मिश्रित प्रजाति के पौधो में वर्तमान में 128 नग पौधे तथा 160 नंग बांस भीरा कुल 288 नग पौधे जीवित पाये गये है। वन परिक्षेत्र अधिकारी मझगंवा/ उप वन मंडल अधिकारी चित्रकुट का प्रतिवेदन तथा गणना पत्रक, मौमा पंचनामा एवं छायाचित्र संलग्न है।
6	The State Govt. certified that CA was carried at on 8.00 ha. of non-forest land of khasra No. 96/1 (part), the Satellite images does not shjows any plantation on the site. Therefore, SIR from concerned CCF for CA plantation may kindly be submitted	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई रकबा 8.00 हे. गैरवनभूमि का वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा दिनांक 02/02/2019 को स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें 520 नग जीवित पौधे पाये गये है। वर्तमान में उक्त क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी–868 के अन्दर है। वृक्षारोपण क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फेंसिंग तथा मृत पौधों के स्थान पर पौधा रोपण एवं वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा के व्यय की राशि आवेदक से प्राप्त कर पुनः कार्य कराने का वन मंडल अधिकारी, सतना द्वारा अपने पत्र क्र. 9059 दिनांक 18/9/2019 में उल्लेख किया गया है। 520 नग जीवित पौधों का गणना पत्रक, पंचनामा संलग्न है।
7	The notification of CA land to PF/RF needs to be submitted to this office.	आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु ग्राम नयागांव खसरा नं. 96/1 रकबा 8.00 हे. उपलब्ध कराई गई गैरवनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धरा 29 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 28/2/2003 में अधिसूचना क्र. डी 594–90–03–दस–3 दिनांक 17/2/2003 से अधिसूचित की गई है। राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन मय अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रकरण में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

30/9/19

(सुनील अग्रवाल)

पृ0 क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/33660/2018/3141 भोपाल, दिनांक 30-9-19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक रींवा वृत्त रींवा मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, सतना, मध्यप्रदेश।
3. श्री शरद बंसल मु.पो. जैतवारा जिला सतना, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

30/9/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C
30/9/19